

# कोटा में महिला की उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने हंगामा किया

परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की

कोटा, (निर्स)। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक महिला की उपचार के दौरान मौत होने के बाद अस्पताल में हंगामा होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, वहीं सूचना पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मृतका के परिजनों के साथ अस्पताल के गेट के बाहर धरना देकर बैठ गई। अस्पताल में हंगामे की सूचना पाकर महावीर नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार संतोषी नगर इलाके की निवासी महिला रेखा (३2 ) को सांस में तकलीफ व बुखार की शिकायत पर परिजनों ने उपचार के लिये न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजने ने हंगामा कर दिया। सूचना पर महिला जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम मौके पर पहुंची और धरने पर बैठ गई बाद में अस्पताल प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता एवं मांगों पर



न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया।

सहमति बनने के बाद धरने को समाप्त किया गया। धरने के दौरान मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा के साथ शालिनी गौतम एवं मृतका के परिजनों की वार्ता हुई। वार्ता में मृतका के परिजनों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से निष्पक्ष एवं न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

मृतका के पति सुरेन्द्र यादव ने बताया कि आईसीयू में भर्ती रेखा यादव की जीवनरक्षक दवाईयां खत्म होने के बाद वहां स्टॉफ समय पर नहीं पहुंचा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने बताया कि वार्ता में सहमति बनी कि मामले में मौजूद संबंधित ड्यूटी डॉक्टर, ड्यूटी नर्सिंग

ऑफिसर एवं वार्ड बॉय के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी तथा इसके साथ ही मृतका के बच्चों के भरपूर-पोषण एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन के माध्यम से जिला कलेक्टर को आवश्यक पत्र लिखा जाए, ताकि बच्चों के लिए शासन स्तर से उचित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में

■ **अस्पताल प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता एवं मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया**

प्रभावी कार्रवाई हो सके।

इस मौके पर पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मी शर्मा, कच्ची बस्ती जिलाध्यक्ष नरोत्तम शर्मा, जिला सचिव रमेश यादव, वार्ड अध्यक्ष आशीष गुर्जर, दीपक योगी, हेमलता यादव, दीपक जायसवाल, सुमित शर्मा, जुल्फिकार अली, कृष्णा मेहरा, एन.एस.यू.आई. विधानसभा उपाध्यक्ष सक्षम गौतम, प्रदीप गंगवानी, अटल खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। महावीर नगर थानाधिकारी हरेन्द्र सिंह ने बताया कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे महिला की मौत के बाद हंगामे की सूचना मिली, सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला को शांत कराया गया।

# उदयपुर की पिछोला झील का जलस्तर 7 फीट 2 इंच पहुंचा

उदयपुर, (कांस)। मेवाड़ क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में प्रदेश में सर्वाधिक 207 मिलीमीटर (सवा आठ इंच) बारिश हुई। वहीं प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में 190 मिलीमीटर (पौने आठ इंच) बारिश दर्ज की गई। वहीं उदयपुर में अपेक्षित बारिश नहीं होने से सभी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इधर झीलों की नगरी में अलसगढ़ बांध,मादड़ी और आकोदड़ा बांध से पिछोला में हुई आवक के चलते पिछले 24 घंटे में पिछोला झील का जलस्तर 6 फीट 1० इंच से बढ़कर 7 फीट 2 इंच हो गया है। पिछोला में पानी डायवर्ट किए जाने के कारण मादड़ी बांध दो दिन में ही खाली हो गया। फिलहाल मादड़ी और आकोदड़ा बांध से पिछोला में पानी की आवक जारी है। हालांकि आकोदड़ा बांध

■ **पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा जिले के घाटोल में सवा आठ इंच, पीपलखूंट में भी पौने आठ इंच बारिश दर्ज की गई**

में पानी बहुत कम बचा है, इसलिए यहां से होने वही सीसाराम नदी का बहाव भी घटा है। नदी में बहाव पहले करीब साढ़े तीन फीट था जो अब घटकर करीब ढाई फीट रह गया है। इसलिए यहां से होने वाली आवक कभी भी थम सकती है। मामसून की मौजूदगी स्थिति को देखते हुए अपेक्षित बारिश नहीं हुई। वलुभनगर में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश से पिछोला झील में पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में

# बूंदी में प्रसूताओं की मौत के प्रकरण में चार सदस्यीय जांच समिति गठित

बूंदी, (निर्स)। बूंदी में सिजेरियन प्रसव के बाद दो प्रसूताओं की मौत के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए दोनों मामलों की विस्तृत जांच के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के स्तर पर चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति को दोनों प्रकरणों की जांच कर दो दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीएमओ लक्ष्मीनारायण मीना ने बताया कि उपलब्ध चिकित्सकीय रिकॉर्ड के अनुसार, एक प्रकरण में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति सामने आई। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए बैलून टैम्पोनाड, दवाइयों एवं रक्त आधान सहित आवश्यक उपचार किया गया। स्थिति निर्यांत्रित नहीं होने तथा उच्च स्तरीय उपचार की आवश्यकता को देखते हुए प्रसूता को उच्च चिकित्सा संस्थान

रेफर किया गया।

उन्होंने बताया कि दूसरे प्रकरण में सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूता को सांस लेने में तकलीफ की स्थिति सामने आई। चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया। रेफरल के बाद 17 सितम्बर 2०26 को कोटा में प्रसूता की मृत्यु होने का उल्लेख रिकॉर्ड में है। दोनों मामलों में मृत्यु के अंतिम चिकित्सकीय कारणों का निर्धारण जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

पीएमओ मीना ने बताया कि सिलोन, बूंदी निवासी वर्षा सेन की गर्भावस्था के दौरान उपस्वास्थ्य केन्द्र सिलोन पर नियमित एग्रेसी जांचें की गई थीं। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उनकी चार एग्रेसी जांचें 19 फरवरी, 16

अप्रैल, 25 जून एवं 20 अगस्त 2०26 को हुई थीं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 15 सितम्बर 2026 को सामान्य चिकित्सालय, बूंदी में प्रसूता को भर्ती किया गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार उनकी गर्भावस्था करीब 8 माह की थी तथा बच्चे की स्थिति ट्रांसवर्स होने के कारण सिजेरियन प्रसव का निर्णय लिया गया। सिजेरियन के बाद प्रसूता ने करीब 2.800 किलोग्राम वजन की बच्ची को जन्म दिया तथा उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन के बाद प्रसूता की स्थिति की निगरानी की गई। बाद में उनकी स्थिति में जटिलता उत्पन्न होने पर ऑन-ड्यूटी चिकित्सक द्वारा परीक्षण एवं आवश्यक उपचार किया गया। स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर

किया गया। रेफरल के बाद 17 सितम्बर 2०26 को कोटा में प्रसूता की मृत्यु होने का उल्लेख रिकॉर्ड में है।

पीएमओ ने बताया कि दूसरे प्रकरण में प्रसूता को 16 सितम्बर 2०26 को सामान्य चिकित्सालय बूंदी में भर्ती किया गया था। प्रसव के बाद उन्होंने 2.280 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया। बाद में करीब 3:40 बजे प्रसूता में वेजाइनल ब्लीडिंग की स्थिति सामने आई। ऑन-ड्यूटी चिकित्सक द्वारा तत्काल उपचार शुरू किया गया तथा पीपीएच के प्रबंधन के लिए बैलून टैम्पोनाड, दवाइयां एवं रक्त आधान किया गया। रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होने तथा एचडीयू/आईसीयू की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रसूता को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया।

# टीटीई ने सोने की चेन यात्री को लौटाई

कोटा, (निर्स)। ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्री की करीब 2 लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन छूट गई, लेकिन टिकट चैकिंग स्टॉफ की सजगता और रेलवे सुरक्षा बल की त्वरित कार्रवाई से वह सुरक्षित वापस मिल गई। मामला के अनुसार गाड़ी संख्या 12955 में ड्यूटी कर रहे टीटीई गणेश सिंह को बी-4 कोच की बर्थ संख्या 17-18 के पास एक सोने की चेन मिली, उन्होंने बिना विलंब किए चेन को सुरक्षित रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल, कोटा को सौंप दिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य संबंधक सौरभ जैन ने बताया कि टीटीई द्वारा पीएमआर विवरण के आधार पर यात्री मेधा प्रवीण जैन से संपर्क किया गया, वह मुंबई सेंट्रल से विक्रमादृद आलोट तक यात्रा कर रही थीं और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर उतर चुकी थीं। संपर्क करने पर उन्होंने चेन अपनी होने की पुष्टि की। इसके बाद टीटीई गणेश सिंह ने चैन लिखित विवरण सहित रेलवे सुरक्षा बल कोटा पोस्ट के सहायक उप निरीक्षक हरिओम सिंह को सुपुर्द कर दिया।

# दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो हादसों में दो जनों की मौत

अलवर, (निर्स)। अलवर-दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार रात और शनिवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए। इनमें में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। दोनों हादसे रैणी थाना क्षेत्र में हुए। पहला हादसा शुक्रवार देर रात 11 बजे पिनान के पास हुआ।

रैणी थाना एसएचओ बने सिंह ने बताया कि तीन स्लीपर बसें दिल्ली से उदयपुर स्थित श्रीनाथजी जा रही थीं। एक बस की लाइट का फ्यूज खराब होने के कारण उसे एक्सप्रेस-वे पर रोक दिया गया था। इसे देखकर पीछे चल रही दूसरी बस भी रुक गई। दूसरी बस का कंडक्टर भारत (18 ) पुत्र सुरेश कुमार निवासी सरस्वती विहार, गांजियाबाद, बस के ड्राइवर साइड खड़ा होकर फ्यूज

■ **चार लोग घायल हुए, दोनों हादसे रैणी थाना क्षेत्र में हुए**

ठीक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में भारत की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर ने दूसरी बस को भी टक्कर मार दी, जिससे बस ड्राइवर फरमान पुत्र शाहिद घायल हो गया। उसे पहले पिनान सीएचसी ले जाया गया, जहां से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

यात्रियों को तीसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के चैनल

नंबर 1३7 के पास हुआ। पुलिस ने शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

दूसरा हादसा शनिवार सुबह चैनल नंबर 1३6 के पास हुआ। यहां एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से एक कार जा चुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार भीलवाड़ा के प्रतापगढ़ निवासी कमलेश पुत्र जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार विक्रम, राजू और मस्ती घायल हो गए। तीनों को रैणी अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलवर हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुचारू कराया।

# अनूपगढ़ में हार्ट अटैक से किसान की मौत

■ **किसान के बेटे ने बताया कि कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसके पिता पिछले एक महीने से तनाव में थे**

■ **इस बार सिंचाई पानी नहीं मिलने और बारिश नहीं होने से 80 फीसदी फसल खराब हो गई बताई**

अनूपगढ़, (निर्स)। यहां किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान रात में खेत पर गया था, सुबह तक वापस नहीं लौटा तो बेटा और भाई उनकी तलाश में गए। इस दौरान खेत पर बने कमरे की दीवार के पास किसान का शव पड़ा हुआ मिला। किसान के बेटे ने बताया कि कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसके पिता पिछले एक महीने से तनाव में थे। घटना अनूपगढ़ के गांव नाहरावाली में शुक्रवार सबेरे की है। किसान की पहचान भादर सिंह (6०) के रूप में हुई है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे भादर सिंह किसान भादर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बेटे बलजिंदर सिंह ने थाने में मर्ग दर्ज कराया है। बलजिंदर ने बताया कि उनके पास 8 बीघा कृषि भूमि है। इस जमीन पर उन्होंने मूंग की फसल बोई थी। इस बार सिंचाई पानी नहीं मिलने और बारिश नहीं होने से 80 फीसदी फसल खराब हो गई। फसल के

# आश्वासन के बाद विधायक ने धरना उठाया

पाली, (नि.सं.)। पाली में विधायक भीमराज भाटी के भाई लक्ष्मी नारायण पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तार की मांग को लेकर शुक्रवार को विधायक ने कलैक्ट्रेट के सामने धरना दिया था।

रात्रि में भी विधायक धरने पर बैठे रहे। शनिवार सुबह सिटी सीओ मंगलेश चूड़ावत और कोतवाल रविंद्र सिंह धरना स्थल पर आए। उन्होंने विधायक भाटी से बातचीत कर आश्वासन दिया, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी और जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। भाटी ने कहा कि अब कांग्रेस का मेयर बनाना है।

# आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने की मांग

नोखा, (निर्स)। उपखंड की ग्राम पंचायत कक्कू के बारूपालों की ढाणी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र कक्कू-4 को बारूपालों की ढाणी में शिफ्ट करने की मांग की है।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-4 अपनी सिद्धों की ढाणी में चल रहा है। जबकि इस केंद्र से फायदा उठाने वाले बच्चों और महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बारूपालों की ढाणी से आता है। इस वजह से ग्रामीणों को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सिद्धों की ढाणी में चल रहे

आंगनबाड़ी केंद्र कक्कू-4 को बारूपालों की ढाणी, कक्कू में शिफ्ट किया जाए। इससे क्षेत्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आंगनबाड़ी सेवाओं का स्थानीय स्तर पर आसानी से फायदा मिल सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बारूपालों की ढाणी में केंद्र चलने से फायदा उठाने वालीं की सुविधा मिलेगी।ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हिम्मताराम राहड़, एडवोकेट लेखराम चौहान, पूर्व उपसरपंच कक्कू रूपाराम, दुर्गाराम, श्रवणराम, मनाराम, दीलाकाम, नारूराम, चेतनराम, गणेशाराम राहड़ सहित ग्रामीण मौजूद थे।

# भरतपुर में शादी की सालगिरह से एक दिन पहले व्यक्ति ने सुसाइड किया

■ **मृतक की पत्नी का पड़ोसी से अफेयर चल रहा था जिसको लेकर काफी परेशान था**

■ **मृतक के भाई ने अपनी भाभी पर साजिश के तहत प्रेमी से मिलकर अमित की हत्या का आरोप लगाया**

नेहा को कई बार समझाया गया लेकिन वह नहीं मानी। नेहा और अमित के पास एक 7 साल बेटा अर्पित भी है। अमित ने नेहा के परिजनों को भी इसके बारे में बताया। नेहा के परिजनों ने उसे कभी नहीं समझाया। राज दिवाकर और नेहा मिलकर अमित को प्रताड़ित कर रहे थे। अमित को पता लगने के बाद भी नेहा और राज दिवाकर दोनों का अफेयर बंद नहीं हुआ। आज अमित की शादी की सालगिरह थी। एक साजिश के तहत नेहा और राज दिवाकर ने अमित को मार

दिया। अमित का शव कमरे में पंखे के कुंडे से लटका हुआ मिला। जिसके बाद अमित के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घर से नेहा अर्पित को लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमार्टम करवाया और, शव परिजनों को सौंप दिया। मथुरा गेट थाने के एएसआई शिव लाल ने बताया कि सुमित ने अपने भाई के शव के पोस्टमार्टम के लिए मर्ग दर्ज करवाइ है। जिसमें अमित और नेहा का झगड़ा बताया गया है। जिसकी जांच की जा रही है।

# राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्रॉड राशि लौटाने का आदेश दिया

एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेंट सर्विसेज पर जुर्माना लगाया

जोधपुर, (कांस) । राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साइबर फ्रॉड मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि परिवारी के अभिलेख और साक्ष्य से यह साबित हो जाने के बावजूद भी कि ओटीपी नंबर नहीं दिए जाने पर भी क्रेडिट कार्ड से राशि निकली है, जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय जोधपुर द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को नजर अंदाज कर नहीं मानकर परिवाद खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। परिवारी की अपील मंजूर करते हुए आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा और सदस्य लियाकत अली ने एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज पर 15 हजार रुपए हर्जाना

लगाते हुए 45 दिन में 1 लाख 12 हजार 917 रुपए मय 12 जुलाई 2०25 से ब्याज और पांच हजार रुपए वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया। अपीलार्थी नरेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि परिवारी दै क्रेडिट कार्ड से 12 जुलाई 2025 को कुछ ही समय में तीन लेनदेन बताकर कुछ राशि 1 लाख 12 हजार 917 रुपए निकाल ली गई। इस पर नरेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से बिना देरी के हार्थोहाथ साइबर और पुलिस थाने में रपट दर्ज करा दी गई कि थी कि बिना ओटीपी साझा किए ही उसके खाते से राशि निकल गई। अधिवक्ता भंडारी ने

बहस करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय में क्या है कि तीन दिन में पीडित पक्षकार साइबर फ्रॉड बाबत संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को सूचित कर देता है तो बैंक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

पीडित ने पहले जिला आयोग में परिवाद दायर किया था। जिसे जिला आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया। जिला आयोग का परिवाद खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से रद्द किया जाए। दूसरी तरफ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एसबीआई कार्ड की ओर से जिला आयोग का निर्णय यथावत रखने का

अनुरोध किया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने पीडित की अपील मंजूर करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को नजर अंदाज किया जाना विधि सम्मत नहीं है और परिवारी ने अपने अर्खंडीय साक्ष्य से साबित किया कि बिना ओटीपी साझा किए ही क्रेडिट कार्ड से राशि निकली है। सो जिला आयोग का निर्णय रद्द किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिया कि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज अपीलार्थी को 45 दिन में 1 लाख 12 हजार 917 रुपए मय ब्याज,15 हजार रुपए हरजाना और पांच हजार रुपए वाद व्यय अदा करें अन्यथा 9 फीसदी ब्याज निर्णय तिथि से देना होगा।